



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1427/CG/3/2023-ESDW

दिनांक: 13.04.2023

श्री तारन प्रकाश सिन्हा,  
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,  
जिला - रायगढ़  
कलेक्टर कार्यालय,  
रायगढ़, छत्तीसगढ़  
ई-मेल: raigarh.cg@gov.in


श्री संतोष कुमार सिंह,  
पुलिस अधीक्षक,  
जिला - रायगढ़  
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,  
छत्तीसगढ़ - 496001  
ई मेल: sp-raigarh.cg@nic.in

विषय: एडिशनल कमिश्नर बिलासपुर चौहान साहब द्वारा आदिवासी पर अत्याचार करने की शिकायत एवं पूरी फाइल अन्य अधिकारी के पास भेजे जाने के संबंध में सुश्री राधा भुइहर, पुत्री स्व. पीलाराम, ग्राम-गुड़गहन, तहसील-पुसौर, जिला - रायगढ़, छत्तीसगढ़ का दिनांक 10.02.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सुश्री राधा भुइहर से दिनांक 10.02.2023 एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

  
(एच. आर. मीना)  
(अनुसंधान अधिकारी)

प्रतिलिपि संलग्न:

1. सुश्री राधा भुइहर,  
पुत्री स्व. पीलाराम,  
ग्राम-गुड़गहन, तहसील-पुसौर,  
जिला - रायगढ़, छत्तीसगढ़

2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।